



उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या-7/2023/330/94-स्टा0नि0-2-2023
लखनऊ: दिनांक-12 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ नई इकाई की स्थापना हेतु नीचे सारणी के स्तम्भ-4 में यथा दर्शित लिखत के सम्बन्ध में पूर्वोक्त नीति के प्रस्तर 5 तथा 7.3 के अनुसार स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती है:-

उ०प्र० पर्यटन नीति 2022 का प्रस्तर	प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
5(छ)	हेरीटेज होटल की स्थापना हेतु बिल्डिंग व सम्बद्ध भूमि (दोनों का स्वामी एक ही व्यक्ति हो) क्रय करने पर	100% (सहायकी के रूप में)	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण के लिखत पर
7.3	नीति के पात्र पर्यटन इकाईयों को नीति के परिचालन अवधि के दौरान भूमि के प्रथम संव्यवहार पर	100 %	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) अधीन हस्तान्तरण और अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा के लिखत पर

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोल्लिखित छूट निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1-जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, उद्योग को हस्तान्तरण/पट्टा लिखत की पुष्टि करनी होगी कि विलेख, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 2022 के अधीन निष्पादित किया जा रहा है और उसे उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में भी हस्ताक्षर करना होगा।

2-किसी अन्य नीति के अधीन स्टाम्प शुल्क छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर चुकी इकाई इस नीति व अधिसूचना के अधीन स्टाम्प शुल्क माफी/छूट के लिए पात्र नहीं होगी।

3-अधिसूचित उपबंधों का क्रियान्वयन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

4-उक्त अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध प्रशासकीय विभाग (पर्यटन विभाग) द्वारा नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश के दिनांक से प्रभावी माने जायेंगे।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या: 7/2023/330/94-स्टा0नि0-2-2023, दिनांक: 12 अप्रैल, 2023

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 12 अप्रैल, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, 30प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 7/2023/330/94-स्टा0नि0-2-2023, दिनांक: 12 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 7- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 9- समस्त अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0) पदेन जिला निबंधक, उ0प्र0।
- 10- समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
- 11- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
- 12- विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- 13- भाषा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह

अनु सचिव,

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 7/2023/330/94-S.R.-2-2023, dated 12 April, 2023

Notification

Order

No. 7/2023/330/94-S.R.-2-2023

Lucknow, dated 12 April, 2023

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act ,1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time, in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act,1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to remit the Stamp Duty, for establishing new unit under the **Uttar Pradesh Tourism Policy, 2022**, in accordance with the Para 5 and 7.3 of the afore **said Policy**, for the purposes of the objectives specified therein, to the limit as mentioned in column 3 of the table below in relation to the Instrument as shown in column 4 –

Para of Uttar Pradesh Tourism Policy 2022	Purpose	Exemption Limit	Nature of Instrument
1	2	3	4
5 (g)	On purchasing the building and associated land (owner of both is the same person) for the establishment of heritage hotel	100% (as a subsidy)	On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act,1899
7.3	Eligible tourism units on first transaction of land during the operational period of the policy	100 %	On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 & Lease of Article 35 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act,1899

The aforementioned exemption under this notification is subject to the following prohibitions /conditions:

- 1-The District Magistrate/ Deputy Commissioner of Industries shall confirm in the Instrument of conveyance/ Lease that the deed is being executed under the **Uttar Pradesh Tourism Policy, 2022** and also signs as a witness for the said purpose.
- 2-The unit which has obtained the benefit of stamp duty exemption under any other policy shall not be eligible for a stamp duty remittance/ exemption under this policy and notification.

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3-The implementation of the notified provisions shall be done according to the extant procedural guidelines issued by the Stamp and Registration Department.

4-The provisions mentioned in the above notification will be considered effective from the date of the Government order issued by the Administrative Department (Tourism department) regarding the implementation of the policy.

By order,

Leena Johri
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।